न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5 / 2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्रीमती आशा पुत्री रावण पाटीदार, निवासी करावाडा हाल निवास अपने पति गोवर्धनलाल पाटीदार, निवासी झलाप, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती मीरा पुत्री रावण पाटीदार, निवासी करावाडा हाल निवास अपने पति रतनलाल पाटीदार, निवासी करावाडा, तहसील झोथरी, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नानूलाल पिता मोगजी पटेल, निवासी करावाडा, तहसील झोथरीपाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कान्तिलाल पिता मोगजी पाटीदार, निवासी करावाडा, तहसील झोथरीपाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. तहसीलदार, झोथरीपाल, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
दिनांक 24.05.2018, प्र॰ सं॰ 49 / 17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अल्लानूर मंसूरी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 04–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा करावाडा एवं मौजा गुन्दीघाटा में स्थित है, जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में स्थित है। विपक्षीगण के पिता रावण की सेवा चाकरी व क्रिया कर्म प्रार्थी ने की, किन्तु विपक्षीगण द्वारा लोगों के बहकावे में आकर उक्त भूमियों का विक्रय किया जा रहा है। अतः निवेदन किया कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों का किसी प्रकार से बेचान नहीं करें, बक्षीस या वसीयत नहीं करें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 24–05–2015 मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अल्लाहनूर मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–05–2018 की अपील दिनांक 23–07–2018 तक प्रस्तुत हो जानी थी, किन्तु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है, जो मात्र 7 दिवस के विलम्ब से होने के कारण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना

सुने राजस्व कैम्प में एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पेशी दिनांक 17–05–2018 नियत की, किन्तु इसके स्थान पर प्रकरण सीधे दिनांक 24–05–2018 को रखकर मात्र प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–05–2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–03–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: